कार्यालयः वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी

पत्रांक– 220 / 15–1 / दिनांक, जुलाई, 25 ,2022।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लिमिटेड, झांसी द्वारा सिजवाहा आरक्षित वन भूमि 0.060 हे0 झांसी–शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–27 के कि0मी0 संख्या–86 से 93.500 तक बांयी पटरी कुल 7.500 कि0मी0, क्षेत्रफल 0.255 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं झांसी–ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–44 के कि0मी0 संख्या–6.500 से 18.200 तक कुल 11.700 कि0मी0 क्षेत्रफल 0.351 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि 0.636 हे0 बिना वृक्ष पातन के गैर संरक्षित वन भूमि 0.636 हे0 विना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Pipeline/143751/2021।

संदर्भ – 1. आपका पत्रांक–3214/11–सी FP/UP/Pipeline/143751/2021, दिनांक –17.05.2022
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक–210/15–1, दिनांक 21.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 21.07.2022 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर संस्तुति सहित संशोधित अभिलेख/पत्रावली सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किये है जिनके परीक्षणोपरान्त संशोधित अभिलेख तीन प्रतियों (पत्रावली सहित) में संलग्न कर प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्नक–
1. प्रस्ताव तीन प्रतियों में।
2. के0एम0एल0 फाईल, सी0डी0–3
3. पैनड्राईव
3. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक – 210/15–1, दिनांक 21.07.2022।

भवदीय

(कैलाश प्रकाश)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या– / समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– श्री राजन कुमार सिंह, उप प्रबन्धक, अदानी टोटल गैस लि0, झांसी को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि आप अपने कार्यालय से किसी भिज्ञ अधिकारी/कर्मचारी को इस कार्यालय से प्रस्ताव व पत्र प्राप्त कर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय के प्राप्त कराने एवं प्रभावी पैरवी करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(कैलाश प्रकाश)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

Jan._2022_Still_2022

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक   /15–1   दिनांक, झांसी, 21-07- 2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुनदेलखण्ड वृत्त, उ0प्र0,
झांसी ।

Phone/Fax No. - (0510) 2370037
E-mail - dfojhansi@gmail.com
Address - 121 Civil Line, Jhansi

विषयः– जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लि0, झांसी द्वारा सिजवाहा आरक्षित वनभूमि 0.060 हे0 झांसी से शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 27 के किमी0 सं0 86 से 93.500 तक बांयी पटरी पर कुल 7.500 किमी0 क्षेत्रफल 0.225 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं झांसी–ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 44 के किमी0 सं0 6.500 से 18.200 तक कुल 11.700 किमी0 तक क्षेत्रफल 0.351 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं कुल आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि 0.636 हे0 बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 FP/UP/Pipeline/143751/2021

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–3214/11सी/FP/UP/Pipeline/143751/2021, दिनांक 17.05.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में संदर्भित पत्र द्वारा 9 बिन्दुओं की आपत्तियॉ दर्शायी गयी है। जिन्हें पूर्ण कर पूर्ति अभिलेख संलग्न कर संस्तुति सहित प्रस्ताव की 04 प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की 03 प्रतियां संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें। आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है :–

क0सं0	प्रस्ताव में कमियॉ	निराकरण
1	प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10% वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान का वचनवद्वता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित वचनवद्वता संलग्न है। पेज सं.28A
2	प्रस्ताव में परियोजना में प्रभावित होने वाली आरक्षित वनभूमि का लीज अवधि प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	वचनवद्वता संलग्न है। पेज सं.28B
3	प्रस्ताव में संलग्न वनभूमि की गणना के कॉलम 8 एवं 9 में 0.60 हे0 आरक्षित वनभूमि को संरक्षित दर्शाया गया है। अतः सहीं कर ऑनलाइन अपलोड करें।	प्रस्ताव में संलग्न वनभूमि गणना को संशोधित कर आरक्षित वनभूमि अंकित कर सही कर दिया गया तथा ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। पेज सं. 29
4	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट संलग्न है किन्तु उस पर शीर्षक व लीजेण्ड युक्त 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें ।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट पर लीज रेंट अंकित कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। पेज सं.74

5	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र में झांसी–शिवपुरी मार्ग में प्रभावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.255 हे0 अंकित किया गया है जो कि गलत है। अतः सही क्षेत्रफल 0.225 हे0 अंकित कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें ।	वन संरक्षक महोदय, झांसी के कार्यालय पत्र में झांसी–शिवपुरी मार्ग की प्रभावित आरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.225 हे0 अंकित कर सही कर दिया गया है एवं ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
6	हार्डकापी भाग–2 के कॉलम सं0 7 में सिजवाहा में प्रभावित आरक्षित वनभूमि क्षेत्रफल 0.066 हे0 अंकित किया गया है जो गलत है। अतः सही क्षेत्रफल 0.06 हे0 अंकित कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें ।	हार्डकापी भाग–2 के कॉलम सं0 7 में सिजवाहा की प्रभावित आरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.06 हे0 सही अंकित कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है। पेज से 12
7	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक 13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि की वैद्यानिक स्थिति PF अंकित है, जो गलत है। अतः RF अंकित करें ।	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक 13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की चयनित वनभूमि की वैद्यानिक स्थिति सहित RF अंकित कर अपलोड कर दिया गया है। पेज 09, 10, 11
8	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक 16 में अपलोड किया गया प्रभागीय वनाधिकारी की त्रुटिपूर्ण संस्तुति को डिलीट कर सही संस्तुति अपलोड करें ।	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक 16 में अपलोड प्रभागीय वनाधिकारी की त्रुटिपूर्ण संस्तुति को डिलीट कर सही संस्तुति अपलोड कर दी गयी है।
9	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0 फाइल पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें ।	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव को पूर्ण कर पी0डी0एफ0 फाइल पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 210 – /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी